समीर पाटिल

आतंकवाद के विरुद्ध भारत का युद्ध

आतंकवाद की रोकथाम की दिशा में भारत की रणनीति अब सटीक सैन्य हमलों को संस्थागत सुधारों और वैश्विक साझेदारियों के साथ जोड़ती है। आतंकवाद का खतरा बढ़ने के साथ-साथ, लचीले और सकारात्मक उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं।

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र की बैसरन घाटी में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकी हमले ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद के अभिशाप को उजागर किया है। भारत चार दशकों से भी अधिक समय से इसका सामना कर रहा है। आतंकवाद और उसके सहयोगी तंत्र से निपटना, उसका प्रतिकार करना और उससे लड़ना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बन गया है। अतीत में, भारत ने संयम बरता और पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती और सीधी कार्रवाई के बजाय बातचीत और जुड़ाव को प्राथमिकता दी। हालांकि, आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के रूप में अपनाने में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के विकृत व्यवहार ने अब नई दिल्ली के धैर्य को समाप्त कर दिया है। पिछले एक दशक में, नीति-निर्माताओं ने भारत के आतंकवाद रोकथाम (सीटी) रुख को नए सिरे से परिभाषित किया है। अब भारत ने पाकिस्तानी दुराचार को बेअसर करने के लिए आतंकवादी हमले से पहले ही ठोस कार्रवाई करने का मन बना लिया है।

इस 'आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध' में, भारत ने सैन्य, घरेलू और राजनयिक क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों को शामिल करते हुए एक व्यापक, बहु-क्षेत्रीय रणनीति लागू की है। इन प्रयासों के साथ एक नई रणनीतिक अभिव्यक्ति भी जुड़ी है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई, 2025 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वाले तत्वों के बीच भेद नहीं करेगा और भविष्य में भारतीय धरती या उसके हितों पर होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को 'युद्ध की कार्रवाई' माना जाएगा। यह भारतीय नीति अब भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन देने में उनकी किसी भी भूमिका के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और उसके समाज को जिम्मेदार ठहराती है। उनकी ओर से 'संभावित खंडन' का बहाना अब काम नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय के सामने यह भी स्पष्ट कर दिया कि

लेखक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ़) में सुरक्षा, रणनीति और प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक हैं। ईमेलः sameer.patil@orfonline.org

यह निस्संदेह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन यह आतंकवाद का युग भी नहीं है।

सैन्य कार्रवाई के तौर पर बल प्रयोग

पहलगाम हमले के जवाब में, भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में त्वरित और सटीक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों को अंजाम देते समय, भारत ने नागरिकों के हताहत होने से बचने के लिए सटीक-हमला करने की अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, क्योंकि कई आतंकवादी ठिकाने घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों में स्थित हैं। यह 1971 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान के अंदर भारत द्वारा शुरू किया गया सबसे गहन सैन्य अभियान था। किंतु, इसने मोटे तौर पर उसी तर्ज पर काम किया जिसका देश पिछले कुछ वर्षों से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में अनुसरण कर रहा है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर 2019 में किए गए बालाकोट हवाई हमले और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया है कि सीमा पार स्थित आतंकवादी ढांचे अब भारतीय सेना की पहुंच से बाहर नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक ऑपरेशन पुलवामा आत्मघाती हमले और उरी हमले सहित, अब तक हुए आतंकवादी हमलों की गंभीरता के अनुरूप एक क्रमिक रूप से तीव्र अभियान रहा है। इन कार्रवाइयों के साथ, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को पाकिस्तान और पीओजेके में स्थित उन्हीं ठिकानों तक ले जाने का फैसला किया है जो इस खतरे को जन्म देते हैं। म्यांमार में विद्रोहियों के खिलाफ 2015 के 'ऑपरेशन हॉट परस्यूट' में भी इसी तरह का विज़न स्पष्ट था।

यह सकारात्मक दृष्टिकोण भारत के रुख को साकार करने वाले एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी स्थापित करता है। पाकिस्तान के भीतर तक जाकर हमले करने के संकल्प और शक्ति का प्रदर्शन करके, भारत अब परमाणु धमकियों या ब्लैकमेल से नहीं डरेगा, जिसका सहारा पाकिस्तान अक्सर लेता है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके भी पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा है और प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते'। पाकिस्तान के साथ संबंधों के नियमों को नए सिरे से परिभाषित करने से भारत की ओर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में एक नया मानक स्थापित हुआ है।

संस्थागत क्षमता को मज़बूती

हालांकि, सैन्य कार्रवाई से परे, भारत ने पिछले 15 वर्षों में अपनी 'आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता' नीति के तहत क़ानून प्रवर्तन और खुफिया क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए घरेलू खुफिया तंत्र के भीतर कई कदम उठाए हैं।

इनमें से कई सुधार पाकिस्तानी सेना के समर्थन से लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए 2008 के मुंबई हमलों के तुरंत बाद शुरू हुए थे। हमलों के बाद, सरकार ने खुफिया ब्यूरो के भीतर बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) को पुनर्जीवित किया। बहु-एजेंसी केंद्र और सहायक बहु-एजेंसी केंद्र सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए सीटी पर सूचना-साझाकरण मंच के रूप में कार्य करते हैं। 2009 में, सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की भी स्थापना की, जो तब से प्राथमिक खुफिया एजेंसी (सीटी) के रूप में उभर कर सामने आई है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की स्थापना है, जो एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़कर उनके बीच तत्क्षण सूचना साझा करने में सक्षम बनाता है।

पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी वित्तपोषण का मुक़ाबला करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे अनेक आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने वाली पेरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के सदस्य के रूप में, भारत ने नवंबर 2004 में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-इंडिया) की स्थापना की और एफआईयू के एग्मोंट समूह का हिस्सा बन गया। इसके अलावा, अनुसूचित अपराधों की सूची का विस्तार करने तथा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ क़ानूनी ढांचे को मज़बूत करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन 2009 में किया गया था। पीएमएलए संशोधन नियम, 2023 ने लाभार्थी स्वामियों की पहचान की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है, उचित परिश्रम मानदंडों का विस्तार किया है, और सीए और सीएस जैसे पेशेवरों को इसके दायरे में लाया है। यह दर्पण नामक पोर्टल पर गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण को भी अनिवार्य करता है और इसके दायरे में क्रिप्टो लेनदेन को शामिल करता है। इतना ही नहीं, यह भारत के वैश्विक एफएटीएफ मानकों के अनुपालन को निर्धारित करने के साथ ही वित्तीय और गैर-लाभकारी क्षेत्रों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

एनआईए ने भी, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में, आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित कई मामलों की जांच की है। एजेंसी के पास

केंद्रित जांच के लिए एक आतंकवादी वित्तपोषण और जाली मुद्रा प्रकोष्ठ है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने अंतरराष्ट्रीय संधियों के अधीन, भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच के लिए एनआईए के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके भारत के आतंकवाद से मुकाबले के प्रयासों को अत्यधिक मज़बूत किया है। इसने मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद, प्रतिबंधित हथियार और विस्फोटकों से संबंधित अपराधों सहित नए अपराधों को भी अपने कार्यक्षेत्र में जोड़ा है। इस संशोधन ने त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के गठन को सक्षम बनाया और एजेंसी की वित्तीय और तकनीकी स्वायत्तता को बढ़ाया, जिससे अधिक प्रभावी और समय पर जांच सुनिश्चित हुई।

कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम

आतंकवाद से लड़ने के मामले में जम्मू-कश्मीर मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमले की बदलती प्रकृति के अनुसार अपनी आतंकवाद-रोकथाम रणनीति को अपनाते हुए, सुरक्षा प्रतिष्ठान ने आतंकवादी समूहों और उससे जुड़े तंत्र पर दबाव बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस निरंतर दबाव के कारण हाल के वर्षों में ये आतंकवादी संगठन पीर पंजाल के दक्षिण में, जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में स्थानांतरित हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय भर्ती को रोकने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आतंकवादी संगठनों की संचालन क्षमताएं काफी हद तक प्रभावित हुई हैं। अब उन्हें 'सफेदपोश' या 'हाइब्रिड' कैडर पर निर्भर रहना पड़ता है, जो आतंकवादियों के समर्थक तो होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप पुलिस की जांच से उनके बचने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा, आतंकवादी संगठनों ने नागरिकों, सुरक्षा बलों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर आतंकवादी हमले करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआएफ) और जैश-ए-मोहम्मद के पीपुल्स एंटी-फ़ासिस्ट फ्रंट (पीएएएफ) जैसे वर्चुअल/प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों को भी बढ़ावा दिया है।

स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों का एक और प्रमुख ज़ोर नार्को-आतंकवाद के मामलों का पता लगाने पर रहा है, जहां आतंकवादी संगठनों ने अपनी विध्वंसक गतिविधियों को चलाने के लिए नशीली दवाओं की बिक्री और तस्करी से प्राप्त आय का इस्तेमाल किया है। 2022-23 के बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश में नार्को-आतंकवाद के 26 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 17 मामलों में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया गया है। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन ने नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने और उनके वित्तीय नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए उनकी संपत्तियां कुर्क करना भी शुरू कर दिया है। ये उपाय उस राष्ट्रीय प्रयास के पूरक हैं जिसके तहत सरकार ने इस खतरे से ज़ोरदार तरीके से निपटने का बीड़ा उठाया है। इसमें नार्को-आतंकवाद और तस्करी से जुड़े मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गृह मंत्रालय के नार्को समन्वय केंद्र द्वारा समन्वित प्रयास करना शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की सीमा पार से घुसपैठ से निपटना जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद से लड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इसका कारण यह है कि ये लंबे समय से घुसपैठ के रास्ते पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से लड़ने और आतंकवादी हिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। ये रास्ते नशीले पदार्थों, छोटे हथियारों और नकली मुद्रा जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के भी रास्ते रहे हैं। हाल के वर्षों में, भारत ने एक त्रि-स्तरीय घुसपैठ-रोकथाम ग्रिड स्थापित किया है जिससे आतंकवादियों के आने पर काफी हद तक अंकुश लगा है। इसके अलावा, उसने नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर व्यापक कंटीले तारों की बाड़ लगाई है, घुसपैठ-रोकथाम हेतु बाधा प्रणाली तैनात की है और अनधिकृत घुसपैठ का पता लगाने के लिए टोही ड्रोन, रात के अंधेरे में देखने के उपकरण और हाथ में पकड़े जाने वाले थर्मल इमेजिंग उपकरणों के माध्यम से निगरानी को मज़बूत किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इन उपायों ने क्षेत्र में हिंसा में भारी कमी लाने में योगदान दिया है। इस संदर्भ में, पहलगाम में हुआ नरसंहार हाल के वर्षों में कड़ी मेहनत से हासिल की गई इन उपलब्धियों को खत्म करने की एक सोची-समझी चाल थी।

कट्टरपंथ का मुक़ाबला

इस बीच, एक बड़ी चुनौती कट्टरपंथ की रही है, जो नीति निर्माताओं के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है। जैसा कि कई अध्ययनों ने बताया है, इस घटना में कई कारक योगदान

करते हैं, जिनमें साथियों का दबाव, पीड़ित होने की भावना और साइबरस्पेस व सोशल मीडिया प्रचार द्वारा प्रेरित स्वयंभू कट्टरपंथ शामिल हैं। हालांकि 'इस्लामिक स्टेट' और 'अल-कायदा' जैसे अखिल-इस्लामी आतंकवादी संगठनों का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर कम हुआ है, किंतु वर्चुअल दुनिया में संवेदनशील लोगों को प्रभावित करने और कार्यकर्ताओं को संगठित करने के उनके प्रयास जारी हैं।

ऐसे प्रयासों का खतरनाक प्रभाव 2022 में राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा की दो घटनाओं से स्पष्ट है, जिन्हें कट्टरपंथी या आत्म-कट्टरपंथी व्यक्तियों ने अंजाम दिया था। एनआईए भर्ती और कट्टरपंथ के आरोपों में आतंकवादी संदिग्धों की नियमित रूप से गिरफ्तारियां करती रहती है। इस कट्टरपंथ की घटना से निपटने का काम अभी भी जारी है।

समान विचारधारा वाले राजनयिक साझेदारों के साथ सहयोग

आतंकवाद के उभरते खतरे के मद्देनजर, भारत ने आतंकवाद की रोकथाम पर अपने राजनयिक संबंधों का विस्तार किया है और समान विचारधारा वाले साझेदारों को शामिल करने का प्रयास किया है। इसके लिए, भारत ने जी20, एफएटीएफ और अपने 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' सम्मेलन सहित कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाया है। 2022 में, भारत ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आतंकवाद रोकथाम समिति की विशेष बैठक और 90वीं इंटरपोल महासभा की भी मेजबानी की, जिसमें एक-दूसरे से सर्वोत्तम प्रणालियों और सीखों का लाभ उठाकर आतंकवाद का मुक़ाबला करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने पर चर्चा हुई।

इन आयोजनों में उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और आतंकवाद निरोधक उपायों और क़ानून प्रवर्तन पर उनके प्रभावों का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2022 में तीसरे मंत्रिस्तरीय 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' सम्मेलन के दौरान, भारत ने क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल सहित आतंकवादी वित्तपोषण के आधुनिक साधनों से निपटने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक के अंत में दिल्ली घोषणापत्र में ड्रोन तकनीक, आतंकवादी वित्तपोषण और आतंकवादी संगठनों द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

द्विपक्षीय संबंधों ने भी आतंकवाद विरोधी सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2008 के मुंबई हमलों के संदिग्ध तहव्वुर हुसैन राणा का हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार, भारत ने भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को बेअसर करने के लिए पड़ोसी देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश और नेपाल के साथ नियमित रूप से काम किया है, जिन्होंने इन देशों का इस्तेमाल भारत में भर्ती और घुसपैठ के लिए किया था।

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर बढ़ती सहमति के बावजूद, वैश्विक समुदाय अभी तक आतंकवाद की एक मानक परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाया है। यह अक्सर कही जाने वाली कहावत, "एक व्यक्ति का आतंकवादी दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी होता है" से स्पष्ट है, जो विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए चयनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यही कारण है कि 1996 में संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन अभी तक रुका हुआ है।

भविष्य की रूपरेखा

यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल न केवल भारत के प्रति अपनी पारंपरिक हीनता की भरपाई के लिए, बल्कि वैश्विक तौर पर भारत के तेज़ी से बढ़ते कद से हताश होकर भी किया है। यह उप-पारंपरिक युद्ध के जरिए भारत को लहूलुहान करने की नीति है। इस लिहाज से, पाकिस्तान/पीओजेके स्थित भारत-विरोधी आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की हर आतंकवादी कार्रवाई का मकसद भारत की सफलता की गाथा को पटरी से उतारना है।

बेशक, पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार आतंकवाद की गतिविधियों में भी बदलाव आया है। कई वर्षों तक, किसी बड़े भारतीय शहर में बड़े पैमाने पर जन-हानि वाले आतंकवादी हमले, जैसे 2005 के दिल्ली सीरियल बम विस्फोट, 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट और 2008 के मुंबई हमले, आतंकवादी संगठनों के लिए आम बात थी। फिर वे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और सैन्य कर्मियों को निशाना बनाकर हमले करने लगे, जैसा कि गुरदासपुर (2015), पठानकोट (2016), उरी (2016) और पुलवामा (2019) की घटनाओं में देखा गया। इसके परिणामस्वरूप भीतरी इलाकों में हमलों में भारी कमी आई। अगला बदलाव अगस्त 2019 के बाद आया, जब जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया। तब से, हमने टीआरएफ और पीएएएफ जैसे छद्म समूहों को आतंकवादी हमलों को अंजाम देते और उग्रवाद को जीवित रखने का प्रयास करते देखा है।

बेशक, पाकिस्तान ने बार-बार इन हिंसक कृत्यों को 'फर्जी अभियानों' के रूप में छिपाने का विकल्प चुना है। हालांकि, सीमा पार/नियंत्रण रेखा पर हमलों और आतंकवादी ताने-बाने पर कार्रवाई के माध्यम से इन सीमा पार आतंकवादी हमलों पर विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में भारत की बदलती कार्रवाई, अब पाकिस्तान के निराधार दावों को प्रदर्शित करती है।

खासकर बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता और राष्ट्रों की बदलती प्राथमिकताओं के बीच आतंकवाद का उन्मूलन एक सतत संघर्ष है। फिर भी, भारत को अपने संकल्प पर अडिग रहना होगा और इस खतरे का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को मज़बूत करना होगा। ❑